न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

रेम0 मिस0 रिभीजन सं0–15/2013–14

सिमोन टुडू वगैरह
बनाम
मरांग हेम्ब्रम वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

06.03.2022

आदेश

यह रिविजन वाद रिविजनकर्त्ता सिमोन टुडू एवं फिलीप टुडू दोनों का पिता–स्व0 अमीन टुडू, सा0–सिमलढाब, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के राजस्व विविध वाद सं0–51/2009–10 में दिनांक 02.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

रिविजन आवेदन एवं अभिलेख के अनुसार मामला संक्षेप में यह है कि निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक 185/रा0, दिनांक 13.07.2009 के द्वारा मौजा–सिमलढाब, थाना–महेशपुर के जमाबन्दी सं0–34 अन्तर्गत रकवा 25–01–10 धूर जमीन को फौती (abandoned) घोषित करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राजस्व विविध वाद सं0–51/2009–10 प्रारंभ किया गया। उक्त वाद में दिनांक 02.07.2013 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–34 अन्तर्गत रकवा 25–01–10 धुर जमीन को फौती घोषित किया गया।

यह रिविजन आवेदन इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसमें विपक्षी 1. मरांग हेम्ब्रम, पिता–स्व0 पाण्डू हेम्ब्रम 2. बुधराय बेसरा, पिता–स्व0 जया बेसरा 3. परगन सोरेन, प्रधान मौजा–सिमलढाब तथा 4. सोलह आना रैयत मौजा सिमलढाब को पक्षकार बनाया गया है।

रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–सिमलढाब के जमाबन्दी सं0–34 अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि अंतिम सर्वे सेटेलमेंट रेकर्ड में लोदो बेसरा के नाम से दर्ज है। लोदो बेसरा निःसंतान थे तथा वृद्धावस्था में उन्हें तथा उनकी सम्पति को देखने वाला कोई नहीं था। अतः लोदो बेसरा के द्वारा अपने बहन की पुत्री सोना मुर्मू को उनके पति जगन टुडू के साथ ग्राम गोन्दे से अपने घर लाकर प्रश्नगत जमाबन्दी की सारी भूमि दिनांक 04.02.1337 (BS) को एक ग्रामीण कागज का निष्पादन कर उन्हें दे दिया। उक्त जगन टुडू एवं सोना मुर्मू

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

प्रश्नगत भूमि पर जोत आबाद करने लगे एवं खतियानी रैयत लोदो बेसरा एवं उनकी पत्नी का देखभाल करने लगे। उक्त लोदो बेसरा एवं उनकी पत्नी की मृत्यु एक के बाद एक वर्ष 1933 में हो गई। उनके अन्तिम संस्कार का कार्य जगन टुडू के द्वारा सम्पन्न किया गया।

उनका आगे कहना है कि संथाल जनजाति में उत्तराधिकारिता का निर्धारण Customary law के अनुसार होता है। Customary law के अनुसार यदि किसी आदमी की मृत्यु निःसंतान हो जाती है तो उनकी सारी सम्पति उनके निकटतम पुरूष गोतिया को प्राप्त होती है।

उनके द्वारा S.P. Manual के page 249 का उद्धहरण देते हुए कहा गया है कि जगन टुडू खतियानी रैयत लोदो बेसरा के उत्तराधिकारी थे। उनके द्वारा खतियानी रैयत की वंशावली निम्नवत दर्शायी गई है।

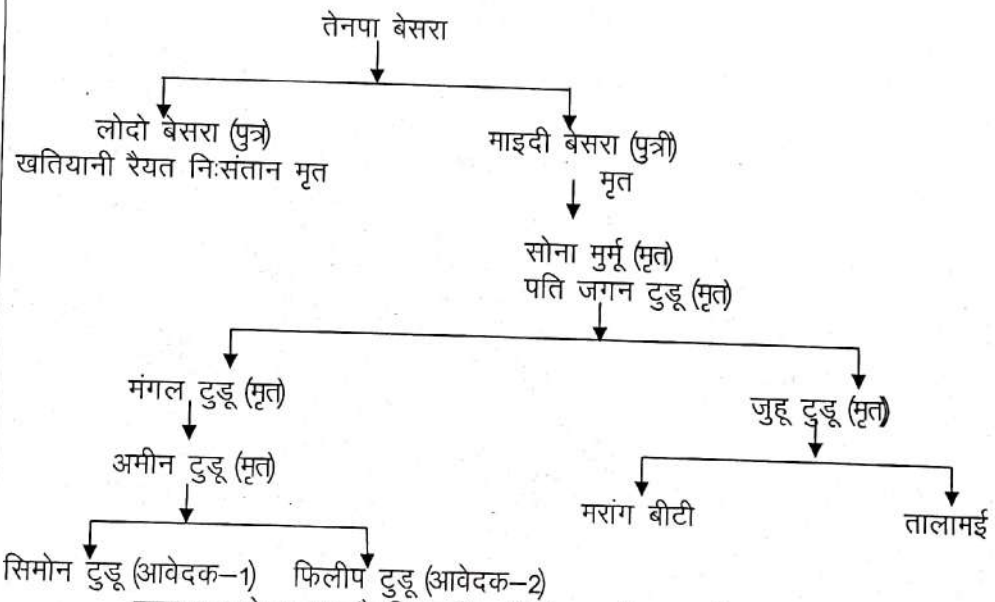

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद भूतपूर्व जमीन्दार एवं बाद में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त जगन टुडू को रैयत मानते हुए उनसे प्रश्नगत भूमि का लगान प्राप्त किया गया। उनका आगे कहना है कि उक्त जगन टुडू के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर उक्त ग्रामीण कागज के जरिये 12 वर्षो से अधिक समय तक लगातार दखल कब्जा के आधार पर Adverse possession के द्वारा SPT Act 1949 के लागू होने के पूर्व ही स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त कर लिया गया था।

उनका आगे कहना है कि उक्त जगन टुडू एवं सोना मुर्मू की मृत्यु के पश्चात

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उनके दो पुत्रों के द्वारा प्रश्नगत भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त कर अपने जीवनकाल तक भोग–दखल किया जाता रहा। उनके मृत्यु के पश्चात रिविजनकर्त्ता के पिता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात रिविजनकर्त्तागण के द्वारा प्रश्नगत भूमि का शान्तिपूर्वक भोग–दखल किया गया। उनका आगे कहना है कि जगन टुडू, सोना मुर्मू, मंगल टुडू, जुहू टुडू, अमीन टुडू की मृत्यु खतियानी रैयत लोदो बेसरा के घर पर हुई एवं रिविजनकर्त्ता भी उसी घर में रह रहे है।

उनके द्वारा JLJR 2010 (col-3) page-21) का हवाला दिया गया है जो निम्नवत है – " A revenue court is not entitled to declare right, title and interest like a Civil Judge"

रिविजनकर्त्ता का आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का उत्तराधिकारिता का निर्धारण कर कानूनन एक बड़ी गलती की गई है।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय को प्रश्नगत भूमि को फौती घोषित नहीं करना चाहिए था क्योंकि खतियानी रैयत लोदो बेसरा की मृत्यु उत्तराधिकारी विहीन नहीं हुई थी।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय को विपक्षी द्वारा दाखिल शपथ पत्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। रिविजनकर्त्ता को शपथकर्त्ताओं का Cross examination करने का कोई मौका निम्न न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया।

उनके द्वारा AIR 2006 page-3626(m) का हवाला दिया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है– " It is also well settled that affidavit has no meaning when evidence given in affidavit was not tested by cross-examination."

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय को लोदो बेसरा द्वारा निष्पादित ग्रामीण कागजात दिनांक 04.02.1337 B.S. में उनके हस्ताक्षर/टिप निशान नहीं रहने के कारण उस कागजात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि उक्त कागजात 82 वर्ष से अधिक पुराना है जब अधिकांश संथाल जनजाति अशिक्षित एवं निर्दोष होते थे।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत लोदो बेसरा थे जिनकी मृत्यु वर्ष 1951–52 में किसी समय बिना किसी उत्तराधिकारी के नावल्द हुई थी। उक्त लोदो बेसरा की निःसंतान मृत्यु संबंधी तथ्य को गांव के कई रैयतों यथा 1. मुन्शी

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

हेम्ब्रम (80 वर्ष) 2. सातु टुडू (75 वर्ष) 3. कुबराज टुडू (55 वर्ष) 4. मताल टुडू (50 वर्ष) 5. अन्तु मराण्डी (90 वर्ष) 6. माझी हेम्ब्रम (83 वर्ष) 7. दुलार मराण्डी (90 वर्ष) एवं 8. रूपी सोरेन (85 वर्ष) के द्वारा प्रमाणित किया गया है जिन्होंने शपथ पत्र में यह उल्लेख किया है कि लोदो बेसरा की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के निःसंतान हुई थी। उक्त सभी शपथ पत्र निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था।

उनका आगे कहना है कि उक्त साक्षियों में से दुलार मराण्डी (90 वर्ष) के द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि उनकी सगी बहन सोना मराण्डी की शादी खतियानी रैयत लोदो बेसरा के साथ हुई थी। लोदो बेसरा अपने पिता तनपा बेसरा के एकलौते पुत्र थे। लोदो बेसरा की न तो कोई बहन थी और न कोई भाई था।

उनका आगे कहना है कि साक्षी रूपी सोरेन के द्वारा शपथ में बयान दिया गया है कि खतियानी रैयत लोदो बेसरा की पत्नी सोना मराण्डी, दुलार मराण्डी की सगी बहन थी तथा लोदो बेसरा की मृत्यु निःसंतान तथा उत्तराधिकारी विहीन हुई थी।

उनका आगे कहना है कि राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लोदो बेसरा की मृत्यु निःसंतान हुई थी। अंचल निरीक्षक के द्वारा दिनांक 13.06.2009 के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि लोदो बेसरा अपने पिता तनपा बेसरा के एक मात्र औलाद थे तथा उनकी मृत्यु निःसंतान हुई थी। उनका आगे कहना है कि मौजा के ग्राम प्रधान के द्वारा भी निम्न न्यायालय में उपरोक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए प्रश्नगत जमाबन्दी को फौती घोषित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता का दावा एक अनिबंधित जिम्मानामा कागज के आधार पर है जिसे लोदो बेसरा द्वारा वर्ष 1930 (1337 बंगला संवत्) में निष्पादित बताया गया है। उक्त जिम्मानामा कागजात /स्पष्ट रूप से जाली, बनावटी एवं पूर्वदिनांकित है। साथ ही उक्त कथित जिम्मानामा कागजात पर खतियानी रैयत लोदो बेसरा का कोई हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।

उनका आगे कहना है कि अन्तिम सर्वे सेटेलमेंट (गेंजर सेटेलमेंट) वर्ष 1932 में समाप्त हुआ जब अन्तिम प्रकाशन किया गया। जमाबन्दी सं0–34 अकेले खतियानी रैयत लोदो बेसरा के नाम से दर्ज है तथा पर्चा के अभियुक्ति कॉलम में जिम्मेदार का नाम अंकित नहीं है। उक्त तथ्य निःसंदेह रूप से यह दर्शाता है कि प्रश्नगत भूमि जिम्मानामा में किसी भी व्यक्ति

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

को कभी नहीं दिया गया था और न ही खतियानी रैयत द्वारा कोई जिम्मानामा कागज निष्पादित किया गया था।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा स्वयं को लोदो बेसरा का गोतिया होने का कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। रिविजनकर्त्ता द्वारा स्वयं का बनाया हुआ शपथ पत्र दाखिल कर खतियानी रैयत लोदो बेसरा की गलत वंशावली चित्रित किया गया है जिसमें मैदी बेसरा को लोदो बेसरा की बहन बताया गया है। रिविजनकर्त्ता पांचवी पीढ़ी से है एवं उनके द्वारा 85 वर्ष पूर्व के अलिखित इतिहास को किस आधार पर कहा जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे ग्रामीण द्वारा उनके दावे का समर्थन नहीं किया गया है। जबकि कई ग्रामीणों एवं स्वयं ग्राम प्रधान द्वारा भी विपक्षी के दावे का समर्थन किया गया है।

विपक्षी के द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित सम्पूर्ण अभिलेख तथा दाखिल कागजातों का समग्र अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस मामले में विचार का मुख्य बिन्दु यह है कि खतियानी रैयत लोदो बेसरा की मृत्यु निःसंतान एवं उत्तराधिकारी विहीन हुई थी अथवा नहीं।

इसके संदर्भ में निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, महेशपुर के जांच प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि लोदो बेसरा की मृत्यु निःसंतान हुई थी। कई व्यक्तियों द्वारा दाखिल शपथ पत्र में भी खतियानी रैयत लोदो बेसरा को निःसंतान मृत बताया गया है। पत्रांक 502/रा0, दिनांक 11.12.2012 के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत लोदो बेसरा की मृत्यु नावल्द हो गई थी एवं उनका कोई भी भाई अथवा बहन नहीं था।

स्वयं रिविजनकर्त्ता के द्वारा स्वीकार किया गया है कि लोदो बेसरा की मृत्यु नावल्द हुई थी, परन्तु उनके द्वारा स्वयं को लोदो बेसरा की बहन की पुत्री सोना मुर्मू के पति जगन टुडू का वंशज बताया गया है एवं बंगला वर्ष 1337 (अंग्रेजी वर्ष 1930) को निष्पादित एक अनिबंधित जिम्मानामा कागजात के आधार पर अपना दावा किया जा रहा है। उक्त जिम्मानामा कागज पर लोदो बेसरा का हस्ताक्षर/टीप निशान अंकित नहीं है।

रिविजनकर्त्ता द्वारा एक भी ऐसा कागजात अथवा दस्तावेज न्यायालय में दाखिल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नहीं किया गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि वे लोदो बेसरा के वंशज है। अतः उनके इस दावे को साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत लोदो बेसरा की मृत्यु नावल्द हुई थी एवं उनका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इस संदर्भ में निम्न न्यायालय के मत से भिन्न मत रखने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

जहां तक प्रश्न अनिबंधित जिम्मानामा कागज का है तो उसमें खतियानी रैयत लोदो बेसरा का हस्ताक्षर/टीप निशान अंकित नहीं है। उक्त कागज बंगला वर्ष 1337 (अंग्रेजी कैलेण्डर के वर्ष 1930) का है।

यदि प्रश्नगत भूमि जिम्मेनामा में दी गई थी तो विगत सर्वे खतियान में उनका नाम दर्ज होता अथवा कम से कम दखल कॉलम/अभ्युक्ति में उनका नाम दर्ज होता परन्तु खतियान में केवल लोदो बेसरा का नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त ग्रामीण कागजात की प्रमाणिकता संदिग्ध है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ।

रिविजनकर्त्ता के द्वारा स्वयं को लोदो बेसरा का उत्तराधिकारी बताया गया है। उत्तराधिकारिता का निर्धारण करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। रिविजनकर्त्ता प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि फौती किए गए प्रश्नगत भूमि की संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों के तहत बन्दोबस्ती उसी गांव के योग्य व्यक्तियों के बीच तीन माह के अन्दर की जाए। जांच प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर रिविजनकर्त्ता का कई वर्षो से दखल–कब्जा रहा था। अतः फौती भूमि की बन्दोबस्ती में यदि रिविजनकर्त्ता सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति पाए जाते है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाय। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 16:55:21 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner